



कार्यालय: राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय नीमराना

Village -Kundan Singh Pura, Tehsil -Neemrana, Neemrana, Dist.-Alwar (Rajasthan)

Email Address: gpc.neemrana@rajasthan.gov.in

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

खुली निविदा संख्या 03 /2022 - 23

निविदा की शर्तें

- निविदायें मुहर लगे बन्द लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से 'संस्था परिसर में संविदा पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर उपलब्ध करवाने हेतु निविदा के लिये निविदा लिखा होगा, दिनांक 28.03.2023 को प्रातः 11:00 बजे तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिये। निविदा उक्त कार्यालय में या तो व्यक्तिगत रूप से संभलवायी जाकर उसकी रसीद प्राप्त की जायेगी या रजिस्टर्ड डाक द्वारा निजवायी जायेगी रजिस्टर्ड डाक देरी से पहुंचने पर नियमानुसार अमान्य होगी एवं संस्थान इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगी। विहित समय व तारीख के बाद जो भी निविदायें प्राप्त होंगी, उन्हें रद्द माना जायेगा। निविदायें उसी दिन प्रातः 11:30 बजे समिति या विधिवत् प्राधिकृत किसी अधिकारी के सम्मक्ष किन्हीं ऐसे इच्छुक निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी जो उपस्थित रहेंगे, प्रत्येक निविदा दो पृथक-पृथक सीलबंद लिफाफो में प्रस्तुत करनी होगी (तकनीकी एवं वित्तीय)।
प्रथम लिफाफे पर संविदा पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हेतु तकनीकी अंकित करना होगा। जिसमें निम्न दस्तावेज स्व हस्ताक्षरित रखे जायें-
 - श्रम विभाग में पंजियन का प्रमाण -पत्र
 - उत्पाद शुल्क विभाग में पंजियन का प्रमाण -पत्र
 - अनुभव प्रमाण -पत्र व उससे संबंधित दस्तावेज।
 - कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952
 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
 - वस्तु एवं सेवाकर (GST)
 - आय कर (पैन नम्बर)
 - धरोहर राशि का ड्राफ्ट /रसीद
 दूसरे लिफाफे में वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जायेगी। जिस पर साफ संविदा पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर हेतु कार्य के लिए वित्तीय निविदा अंकित किया जाये। इस लिफाफे में निम्न दस्तावेज स्व हस्ताक्षरित रखे जायें-
 - निविदा प्रपत्र जिसमें दर अंकित की जाये। दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। दरों में कटिंग/ओवरराइटिंग अमान्य होंगी।
 - निविदा की शर्तें जिस पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न करें। प्रत्येक पृष्ठ पर स्व हस्ताक्षरित कर सील अंकित करें।
- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (बिना मशीन) सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से स्वीकृति के अनुरूप संविदा आधार पर एक वर्ष के लिये अनुबंधित किये जायेंगे। जिनकी संख्या में कमी/वृद्धि एवं अवधि में कमी/वृद्धि तथा अनुबंध को कारण बताये बिना निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, नीमराना का होगा।
- सेवा प्रदाता एजेन्सी के रूप में पंजियन प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। दर अनुबंध पर सेवा उपलब्ध कराने हेतु विनिर्दिष्ट पंजीकृत बोलीदाता/संवेदक जो कि राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर) एवं राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत हों, जिनकी स्वहस्ताक्षरित प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
- न्यूनतम मजदूरी (अधिनियम 1948, केन्द्रीय अधिनियम 11 वर्ष, 1948 एवं राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित मानदेय) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
- राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु आर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि, पूर्ण रूप से भरें हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
- यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (पार्ट टाइम) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिए आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्यवाही की जायेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी। उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
- संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से प्रतिमाह की 7 तारीख तक उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा। चाहे इस कार्यालय

N
11/3/23

11/3/23

11/3/23

11/3/23

11/3/23



कार्यालय: राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नीमराना

Village -Kundan Singh Pura, Tehsil -Neemrana, Neemrana, Dist.-Alwar (Rajasthan)

Email Address: gpc.neemrana@rajasthan.gov.in

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

से किसी भी कारण से संवेदक को देरी से भुगतान क्यों न किया गया हो। यदि संवेदक द्वारा देरी से भुगतान किया जाता है तो दो
सौ रूपये प्रतिदिन की दर से शासित लगाई जाएगी।

8. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
9. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
10. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा करायें जाने की पुष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलो का भुगतान किया जायेगा।
11. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर सूचना पट्टे लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाइन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।
12. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की राशि, अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
13. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
14. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिक के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सख्त प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम 1970 एवं समय-समय पर संशोधित अधिनियम का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए सक्षम होगा।
15. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974, में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
16. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की कतिपय या मुआवजा देने/ई.एस.आई.करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
17. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को प्रतिबंधित कराने की कार्यवाही करेगी।
18. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबंधित श्रमिकों को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
19. सेवासुपूर्द की अवधि में वृद्धि/कमी करने का अधिकार संस्थान के प्रधानाचार्य का होगा।
20. कम्प्युटर ऑपरेटर निम्न मापदण्डानुसार उपलब्ध कराने होंगे :-
(A) The personnel should be graduate, should have knowledge to operate computer in windows/Linux environment, good knowledge/practice in word processor, spread sheets and internet operations and other office related computer operations and should have sufficient speed of typing in Hindi and English.
(B) The personnel shall have at least two years experience of typing in Hindi and English.

(N)
11/3/23

(M)
11.3.23

(R)
11.3.23

(S)
11/3/23

(P)
11/3/2023



कार्यालय: राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय नीमराना

Village -Kundan Singh Pura,Tehsil--Neemrana, Neemrana,Dist.-Alwar (Rajasthan)

Email Address: gpc.neemrana@rajasthan.gov.in

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

उपरोक्त मापदण्डानुसार श्रमिक नहीं मिलने पर निर्धारित कमेंटी द्वारा उपलब्ध श्रमिकों का कार्य कुशलता को देखते हुए अभिज्ञाता के उपरांत ही कार्य पर रखा जायेगा।

यदि डाटा एन्ट्री ऑपरटर मय मशीन अनुबंधित किये जाते हैं तो कम्प्यूटर सिस्टम एवं प्रिंटर इत्यादि राज्य सरकार के वित्तीय एवं लेखा नियमों के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होंगे तथा डी.ओ.आईटी के अनुसार नवीनतम तकनीक और नवीनतम संस्करण के होंगे।

- निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म वास्तविकता में कार्यरत/अस्तित्व में होनी चाहिए। उसके वास्तविक विनिर्माता / डीलर को निविदा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार घोषणा पत्र संलग्न करना होगा:-
हम (फर्म का नाम).....ने डाटा एन्ट्री ऑपरटर के लिए निविदा दी है, उनके हम बोनाफाइड के रूप में प्राधिकृत है। यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप से जब्त कर लिया जायेगा तथा निविदा को रद्द कर दिया जायेगा। हमारी फर्म द्वारा निविदा के कार्य को सबलेट नहीं किया जायेगा।

निविदादाता का नाम.....

हस्ताक्षर.....

फर्म की सील.....

- सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं की जावेगी।
- निविदादाता निविदा खोलने के बाद किसी निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापिस लेता है या उसमें समय रहते विद्विग्न किसी प्रकार को यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है। आदेश देने के बाद प्रतिभूति कराता है या विहित समय के भीतर सप्लाई करने में असफल रहता है तो बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी।
- किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, को स्वीकार करने/बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निष्पादित करने के लिए निविदादाता ने निविदा की हो उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने का अधिकार क्रय/दर अनुमोदन समिति को होगा।
- नेगोशिएशन का सामान्यतः कोई प्रावधान नहीं होगा परन्तु आवश्यकता होने पर राज्यहित में नेगोशिएशन किया जा सकता है।
- सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिस सामान के लिए निविदाएं स्वीकार की गई हैं उनके मूल्य के 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदा स्वीकार किये जाने की सूचना के 7 दिन के भीतर जमा करानी होगी। बयाना राशि का प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जा सकेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में कम नहीं की जायेगी। प्रतिभूति राशि पर ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति बैंकर चैक/ड्राफ्ट आदि के रूप में स्वीकार की जायेगी। संविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर प्रतिभूति राशि को जब्त कर लिया जायेगा। प्रतिभूति राशि संतोषजनक कार्य दो माह या गारण्टी अवधि समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हो तथा संतुष्ट हो जाने पर निविदादाता के विरुद्ध कोई बकाया देय नहीं होने की स्थिति में, तब प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जायेगा।
- सर्वेदक को अग्रिम किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- फर्म के बिलों का भुगतान राज्य सरकार के निर्देशानुसार/डी.डी.बैंकर चैक द्वारा किया जायेगा। नियमानुसार टी. डी.एस.की कटौती की जायेगी। भुगतान के प्रेषण में जो भी व्यय होगा वह निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
- प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, नीमराना द्वारा निर्धारित स्पेसीफिकेशन व निर्धारित समयावधि में निविदा दाता द्वारा सामग्री की सुपुर्दगी/आवश्यक कार्यों को की उपलब्धता प्रदान नहीं करने पर अथवा विलम्ब के लिए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार शारित आरोपित कर कटौती की जावेगी।
- निविदादाता भागीदारी को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
1. यदि भागीदारी फर्म होतो भागीदारी विलेख की अभिप्राणित प्रतिलिपि।
2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवस्य एवं कार्यालय का पता, टेलिफोन नम्बर।
4. कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- फर्म के नाम, पते, टेलीफोन न. आदि में परिवर्तन की सूचना तुरन्त कार्यालय को देनी होगी। फर्म आदि के गटन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना लिखित में ही दी जावेगी तथा इस परिवर्तन की संविदा के अधीन किसी भी दाखिल से फर्म को पहले सदस्य मुक्त नहीं किये जायेगे।
- कार्यस्थल पर 18 वर्ष से कम उम्र का कार्मिक नहीं रखा जायेगा।
- निविदा सूचना में उल्लेखित मांग को कम या ज्यादा करने का अधिकार संस्थान प्रधान के पास होगा।
- निविदा खोलते समय उत्पन्न हुये किसी भी विवाद की स्थिति में निविदा कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।
- सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के भाग द्वितीय के नियम 68 के अभिकथित प्रारूप एसआर 16 को इस संविदा/निविदा का भाग समझा जायेगा। जो निविदादाता पर प्रभावी समझा जायेगा।
- निविदादाता को किसी भी कार्मिक के अनुपस्थित रहने की सूचना संस्थान द्वारा देने पर वैकल्पिक व्यवस्था दो दिवस के भीतर करनी होगी। उसके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करने पर कार्यालय द्वारा अपने स्तर से कार्मिक की व्यवस्था की जा सकेगी, जिसका भुगतान निविदादाता को करना होगा।
- बोली प्रतिभूति का समर्पण (जप्त करने के कारण) :-
❖ बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समर्पण कर दी जायेगी, अर्थात्:-
• जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के परचात् अपनी बोली प्रत्यात् या उपात्तरित करता है।
• जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के परचात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।

(N) 11/3/23

(M) 11/3/23

11-5-23

11/3/23

11/3/2023



कार्यालय: राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय नीमराना

Village -Kundan Singh Pura, Tehsil -Neemrana, Neemrana, Dist.-Alwar (Rajasthan)

Email Address: gpc.neemrana@rajasthan.gov.in

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

- जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।
 - जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं करता है।
 - यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए बहिस्तत्पनिष्ठा की सहिता के किसी उपबंध का भंग करता है।
- ❖ सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
38. यदि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर मय मशीन अनुबधित किये जाते हैं तो, कम्प्यूटर/प्रिन्टर की खराबी के उपरान्त सही करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं उसकी देखभाल के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। संस्थान की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कम्प्यूटर/प्रिन्टर की खराबी होने की स्थिति में बदलना होगा अन्यथा नियमानुसार कटौती की जायेगी।
 39. नियोजित कर्मों द्वारा कोविड -19(कोरोना) से बचाव हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई गाईडलाईन को पालना करनी होगी।
 40. निविदादाता, कार्य हेतु संविदा पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को लगाएगा उनके नाम व पते मय दो फोटो एवं फिटनेस प्रमाण पत्र जॉयनिंग के समय कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को ईएसआई कार्ड एक माह की अवधि में उपलब्ध करवाने होंगे। किसी समय यदि डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को बदला जाता है तो उसके बदले हुए नए कर्मों का नाम मय फोटो एवं फिटनेस प्रमाण पत्र यथा समय उपलब्ध करवाने होंगे। इसके अभाव में अगले माह का भुगतान नहीं किया जावेगा।
 41. सर्वदेक द्वारा स्वयं के खर्च पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को यूनीफॉर्म व परिचय पत्र उपलब्ध करवाना होगा। बिना यूनिफॉर्म व परिचय पत्र के उपस्थित कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं भाना जावेगा एवं सौ रूपये की शास्ति प्रतिदिन लगाई जावेगी। सफल निविदाकार को अपनी यूनीफॉर्म व बैच का सौपल कार्यालय में जमा करवाना होगा।
- मैने/हमने उपरोक्त वर्णित शर्तों को मली प्रकार पढ/समझ लिया है। मै/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों को मानने हेतु सहमत है/हैं।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

मय फर्म की सील

(H)
11/3/23

(H)
11.3.23

(H)
11.3.23

(H)
11/3/23

(H)
11/3/23



कार्यालय: राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय नीमराना
Village -Kundan Singh Pura, Tehsil -Neemrana, Neemrana, Dist.- Alwar (Rajasthan)
Email Address: gpc.neemrana@rajasthan.gov.in

आजादी का
अमृत महोत्सव

एस.आर.15

निविदा प्रपत्र

संस्थान में डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कार्य हेतु निविदा

प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, नीमराना

(1) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक का पता.

निविदा संख्या.- 03/2022-23

दूरभाष व मोबाइल नं.

(2) सन्दर्भ- रापोनी/लेखा/200-23/

दिनांक :-

(3) निविदा शुल्क की राशि रु. 200/- बैंकर चैक संख्या/ड्राफ्ट संख्या/नगद

(4) बोलीदाता/संवेदक का विभिन्न पंजीकरण विवरण:-

क्र.स.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी नविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत या राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिनियम /संशोधन				

(5) संविदा पर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (बिना मशीन) कार्य की ड्यूटी के लिए दर निर्मानुसार होंगी :-

दर प्रतिमाह (26 दिवस) (आठ घंटे प्रतिदिन कार्य हेतु) :-

क्र. सं.	सेवा का नाम (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर कार्य)	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या श्रमिक की श्रेणी उच्च कुशल	प्रतिदिन प्रतिकर्मी न्यूनतम मजदूरी दर (श्रम विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित से कम नहीं होगी)	श्रमिकों की संख्या	राशि	सामग्री राशि/उपकरण किराया मय पूर्ण विवरण	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				एक		लागू नहीं		

(6) बैंक ड्राफ्ट संख्या. दिनांक. राशि. तथा बैंक का नाम. जो कि प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटैक्निक महाविद्यालय, नीमराना के नाम देय संलग्न है।

(7) आयकर, GST एवं कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र इत्यादि की छाया प्रति संलग्न है।

(8) निविदा शर्तें हस्ताक्षर सहित संलग्न है।

(9) EPF एवं ESI की दरें प्रतिशत राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित से नियमानुसार अतिरिक्त देय होंगी

निविदादाता/बिडर की
फोटो स्व प्रमाणित

निविदादाता के हस्ताक्षर

फर्म का नाम

पता

11/3/23

11.3.23

11.3.23

11/3/23

11/3/23